भारतीय राजनीति की नयी दृढ़ताः–
(New Determination of Indian Politics)

Dr. RAKESH KUMAR RAM.
MA, Ph.D (Pol.Sc)
B.Ed., MA in Ed.
UGC NET-JUN 2019
STET & CTET-2012 } Qualified
APS (AWES)-2018

भारत की राजनीति संविधान की नजर में कार्यान्वित होती है। (1) ''यहाँ संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका संबैधानिक प्रधान राष्ट्रपति और व्यवहारिक प्रधान प्रधानमंत्री होते है'' भारत द्विसदनीयता (लोक सभा एवं राज्य सभा) तथा द्विसत्तात्मक (केन्द्र एवं राज्य) सरकार के स्वरूप का अनुसरण करता है। शासन एवं सत्ता सरकार के हाथों में नियंत्रित होती है। सरकार के तीनों अंग, आपसी समन्वय एवं नियंत्रण में संविधान द्वारा प्रद्त शक्तियों के अनुसार कार्य करते है। न्याधिकरण व्यवस्था शासकीय एवं वैंधानिक दोनों से स्वतंत्र होता है।

भारत भौगोलिक, जनसंख्यांकीय एवं सांस्कृतिक बहुलता से एक विषाल राज्य है, जिसके कारण बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है। फलतः यहाँ की राजनीति दिलचस्पी भरी होती है। भारत का लोकतंत्र विष्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अनुठा भी है।

भारत की जनता विभिन्न राजनीतिक दलों की अपेक्षा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को 1885 के एक लंबे समय से परिचित थी। जिसका लाभ कांग्रेस को स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात लगातार 1975 तक मिलता रहा है।

इस प्रकार उपर्युक्त परंपरागत राजनीतिक के सापेक्ष नव–निष्चयात्मक राजनीति की झलक देखने को मिलती है। जो इस प्रकार हैः–

1. 1990 का दषक भारतीय राजनीति में एक नए बदलाव का परिचायक है। 1984 के आम चुनाव में इंदरा गाँधी की शहादत की सहानुभूति में कांग्रेस पार्टी को 415 स्थान लोक सभा में मिलें वहीं 1989 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी मात्र–197 स्थान ही जीत सकी। इस प्रकार कांग्रेस अपना जनाधार खोने लगी जो 1975 के अपातकाल की उत्पीड़न एवं 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हो रहे परिर्वतन का परिणाम था।
2. मंडल कमिषन की मुद्दा भारतीय राजनीति में प्रमुख उछाल लाया। 1990 में विष्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल कमीषन के प्रतिवेदन के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गो को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय लिया, जिसके कारण मंडल

की राजनीति शुरू हुई। V.P. सिंह ने बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोषिष की, वहीं संघ परिवार ने बहुसंख्यक पिछड़ों को धार्मिक उन्माद पैदा कर अपनी ओर ध्रुवीकरण करते हुए अयोध्या राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जीद के विवादित ढांचे को 1992 में गिराने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिंद्धात एवं राष्ट्रवाद पर राजनीतिक दलो के बीच व्यापक बहस छीर गई। तब से आज तक संघ–परिवार एवं बीजेपी अपने हर राजनीतिक एवं संस्कृतिक कार्यक्रमों में अयोध्या राम मंदीर की मुद्दा उठा कर भारतीय राजनीति को सम्प्रदायिक एवं हिन्दुवादी मानसिकता पैदा कर (2)''मंडल पर कमंडल की राजनीति की शुरूआत की'', जिसका उत्रोत्तर लाभ उन्हें मिलता रहा।

3. (3) ''नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई'' जिसे कारण भारतीय राजनीति में भारी बदलाव आया। सोवियत संघ और अन्य यूरोपीय देषो में समाजवादी अर्थव्यवस्था धारासाई होने और चीन द्वारा मौन रूप में ताईवानी मॉडल स्वीकार करने तथा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में पिछड़ो को आरक्षण देने के कारण भारत में भी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण एवं वैष्वीकरण किया गया। हलांकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देष था। इस सुधार की आलोचना राष्ट्रपति के आर. नरायणन ने 25 जनवरी 2000 में चेतावनी के रूप में की कि (4)''बहुत लंबे समय से सताये गये धैर्यवान लोगों का प्रकोप एक दिन भयंकर रूप धारण कर सकता है, यदि निजीकरण, उदारीकरण और वैष्वीकरण हमारे त्रिमार्गीय यातायात लेन में भारत के कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षित पैंदल पारपथ उपलब्ध नहीं कराया जाता'' इस प्रकार नयी आर्थिक नीति, आरक्षण, उदारीकरण, निजीकारण और वैष्वीकारण भारतीय राजनीति में एक नई दृढ़ता पैदा की।
4. गठबंधन की राजनीति 1989 के आम चुनाव से भारत में उत्पन्न हुई। केन्द्र की V.P. सिंह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 से 1990 तक, चन्द्रषेखर 1990 से 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चा, P.V. नरसिम्हा 1991 से 96 तक कांग्रेस, मई 1996 से जुन 1996 तक अटल बिहारी बाजपेयी भाजपा, जुन 1996 से अप्रैल 1997 तक H.D. देवगोड़ा संयुक्त मोर्चा, अप्रेल 1997 से मार्च 98 तक इंद्र कुमार गुजराल, संयुक्त मोर्चा, और मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक अटल बिहारी बाजपेयी राजग, सभी अल्पमत, गठजोड़ एवं कमजोर सरकार रही है। केन्द्र और राज्य में अलग–अलग वैचारिक नीतियों, विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग के साथ मिल कर सरकार चलाई गयी। यह भी भारतीय राजनीति की विषेष अवधारण सत्यापित होती है।
5. आन्तरिक लोकहित सुधार के कारण भी भारत की राजनीति में एक नया आयाम आया है। 15 जुन 2005 के सुचना का अधिकार को अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। इससे सरकार में पारदर्षीता एवं जबाबदेही आई एवं भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पैदा

हुआ। आम जनता अपने अधिकारों को लेकर जन आन्दोलन का रूप लेता रहा जिसे सत्तारूढ़ राजनीति पार्टी एवं प्रतिपक्ष उन्मुख रहती है।

6. जन लोक पाल बिल भ्रष्टाचार निरोधि मसौदा था। जो लालफिताषाही एवं भ्रष्ट राजनेताओं पर नियंत्रण के लिए साम्विधिक स्वतंत्र संस्था की माँग की। इस बिल के निर्माण में नागरिक समाज द्वारा जनआंनदोलन कर व्यापक जनसमर्थन हासिल किया। परिणाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई आधुनिक राजनीतिक चिंतन एवं कार्यषैली तथा यथार्थवादी राजनीतिक पार्टी (आप) का गठन सामाजिक कार्यकर्त्ता अरबिन्द केजरिवाल के नेतृतव में गठित हुई, जो धरातल पर जनहीत एवं घोषणा पत्र के अनुसार बुनियादी एवं यथार्थ कार्य कर भारतीय राजनीति में नई चेतना पैदा की।
7. संविधान के 70 वर्षो के बाद भारतीय संविधान के अर्न्तगत (5)''नीति निर्देषक तत्व,भाग–4 अनुच्छेद–44 समान नागरिक संहिता'' का अनुपालनार्थ तीन तलाक को समाप्त किया गया जिसका भारी विरोध तो हुआ लेकिन साहसिक और सराहनीयें कार्य साबित हुआ।
8. अयोध्या विवाद पर कानुनी फैसला जिस पर हमेषा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति गर्म हुआ करती थी का समाधान हुआ जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक है।
9. आजादी के काल से ही जम्मू–काषमीर को विषेष राज्य की दर्जा अनुच्छेद 35A एवं 370 के अंतर्गत दी गई थी। जिसका राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय राजनीति एवं कुटनीति में भारी महत्व था। जिसका समाधान वर्त्तमान बीजेपी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जम्मू–कश्मीर से 35A एवं 370 धरा हटाकर जम्मू एवं कष्मीर तथा लद्दाख को अलग–अलग राज्य बनाकर किया।
10. अन्तराष्ट्रीय पटल पर भारत की कुटनीति आपसी विष्वास, नियंत्रण एवं समन्वय बनाये रखने में सफल रहा है। जो भारत–चीन, भारत–पाकिस्तान, अमेरिका–ईरान, और अमेरिका–चीन जैसे गंभीर विवाद में भी भारत अपना प्रभाव बनाए रखा। अतः निष्चित ही भारतीय राजनीति में नई दृढ़ता एवं साहस का अनुभव होता है।

निष्कर्षः– भारत घरेलू राजनीति की बहुत सारी परम्परावादी सोच को त्याग कर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीति में परिमार्जन, पारदर्षीता एवं जबाबदेही लाया है। वहीं अन्तराष्ट्रीय राजनीति एवं कुटनीति में स्वतंत्र निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित किया है। इस प्रकार भारतीय राजनीति एक नई दृढ़ता के साथ उभरी है।

संदर्भः–

1. स्वत़ंत्रता के बाद भारतीय राजनीति (गाँधी राय)
2. फारवार्ड पत्रिका (सितम्बर–2014)
3. भारतीय अर्थ–व्यवस्था (रूद्र दत एवं सुन्दरम)
4. फारवार्ड पत्रिका (दिसम्बर–2013)

5. भारतीय सिद्धान्त के मूल सिद्धान्त (गाँधी राय)

भारतीय कामकाजी महिलाओं की मुद्दे, समस्याऐं एवं समाधान :–

भारतीय महिलाओं का संवैधानिक अधिकारः–

महिलाओं में अपरिमित शक्ति एवं क्षमताएँ होती है। मानवीय संवेदना, करूणा, ममत्व, और वात्सल्य की स्वभाविक विषेषता होती है। अपने अदम्य साहस, अथक–संघर्षषीलता, दूरदर्षी–बुद्धिमत्ता आदि विविध गुणों का परिचय दिया है। फिर भी नर–नारी के बीच कनिष्ठता एवं वरिष्ठता के भेदभाव में नारी को आजतक अवनति के गर्त में रहना पड़ता है।

देश की लगभग आधी आवादी औरतों की है, किन्तु उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति आज भी दयनीय है। शायद भारतीय नारी को लिखित रूप में विष्व भर में सबसे अधिक संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त है, किन्तु व्यवहारिक रूप में जैसा अपमान, निन्दा, दमन, शोषण और दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, धरती पर कहीं नहीं होता होगा।

भारत में वास्तविक नारीवाद की नींव अम्बेदकर ने ही डाली थी। इस देष की स्त्रियों की वस्तु स्थिति और उसके शोषण का आधार ज्ञान और सम्पत्ति पर अधिकार न होने के कारण है। फलतः भारत में महिलाओं की भागीदारी किसी भी क्षेत्र में संतोषजनक नहीं है। संविधान में महिलाओं से संबंधित अधिकार इस प्रकार प्रावधानित किया गया हैः–

1. **संविधान की प्रस्तावना में दिये गये प्रावधान–**
   संविधान की उदेषिका में अंकित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना लिंग भेद–भाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा अक्षुण है।
2. **मौलिक अधिकार भाग–3 में प्रवधान–**
   राज्यों में नागरिको की उन्नति, संरक्षण एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीन विकास के लिए समानता, स्वतंत्रता, अधिकार एवं न्याय प्रदान किये गये है।
   कानून की नजर मे ंसभी व्यक्ति बराबर है (अनुच्छेद–14)।
   वंष, जाति, धर्म, जन्मस्थान, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है (अनु0–15)।
   महिलाओं को आरक्षण या विषेष अवसर दिया जा सकता है (अनु0–15 (3))।
   बिना लिंग भेद के अवसर की समानता दी गयी है (अनु0–16)।
   राज्य की लोक सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है (अनु0–16(4))। सार्थक, पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है (अनु0–20)।
   PNDT Act 1994 संषोधित 2003 इस प्रावधान के अनुसार जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण करना संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।
   षिक्षा का अधिकार मैलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है (अनु0–21A)।

भारत में प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा प्रचलित रही है जिसके कारण महिलाओं का शोषण होता रहा है। इसलिए संविधान में शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किया गया है (अनु0–23 एवं 24)।

नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है (अनु0–25 से 28 तक)। सभ्यता संस्कृति एवं षिक्षा का अधिकार दिया गया है (अनु0–29 से 30 तक)। संवैधानिक उपचारो का अधिकार जिससे महिलाऐं अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सके (अनु0–32)।

3. **संविधान के भाग–4 नीति निर्देषक तत्व में महिलाओं हेतु प्रावधान–**

पुरूषों एवं महिलाओं को समान काम के बदले समान वेतन का प्रावधान किया गया है (अनु0–39 (घ))।

स्थानीय स्वषासन का प्रावधान किया गया है (अनु0–40)।

73वाँ एवं 74वाँ संविधान संषोधन में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है जिसके अन्तर्गत बिहार सरकार में पंचायती एवं नगर पालिका में 50% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है।

महिलाओं के लिए बेकारी, बृद्धा पेंषन, बीमारी और अन्य अभाव की दषा में सहायता प्रदान करने का निर्देष दिया गया है (अनु0–41)।

प्रसूति सहायता का विषेष प्रवधान किया गया है (अनु0–42)।

इसके अन्तर्गत दो बच्चों के जन्म या नुकसान तक सवैतनिक अवकाष प्राप्त है साथ ही प्रत्येक महिनों में दो विषेषावकाष स्वीकार किया गया है।

षिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितो का प्रावधान करे जिसमें अन्याय एवं शोषण से मुक्ति मील सके (अनु0–46)

महिलाओं के पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपबंध किया गया है (अनु0–47)।

4. **मौलिक कर्त्तव्य भाग–4 (क)–**

इसके अन्तर्गत भारत के सभी लोग ऐसी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज एवं अंधविष्वास का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो (अनु0–51 (क)(ड)।

अनु0–325 में निर्वाचन नामावली मे महिलाओं एवं पुरूषो दोनों को अंकित किया जाएगा और दोनों को एक समान मतदान का अधिकार होगा।

5. **महिला आरक्षण विधेयक–**

इस विधेयक को सर्वप्रथम राजीव गॉधी ने उठाया था, लेकिन पास नहीं हो सका।

पुनः भाजपा सरकार द्वारा 84 वाँ संविधान संषोधन–1998 में विवादित महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित किया। किः–

1. अनुच्छेद–330 (1) के अनुसार लोक सभा में महिलाओं को लिए स्थान सुरक्षित होंगे।
2. अनुच्छेद–330 (2) के तहत कुल महिला स्थानो का 1/3 भाग अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे।
3. अनुच्छेद– 332 (1) प्रत्येक विधान सभा के महिलाओं हेतु स्थान सुरक्षित होंगे।

6. **महिला सषक्तिकरण हेतु आयोग–**

1. **अन्तराष्ट्रीय महिला आयोग–**

अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस–8 मार्च को मनाया जाता है जिसमें महिला सषक्तिकरण आज अन्तराष्ट्रीय मुद्दे है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में वियेना उद्घोषणा में महिला अधिकारों की विवेचना की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर का निर्माण संयुक्त–राष्ट्र महासभा ने 10

दिसम्बर 1948 पारित किया जिसमें महिलाओं को लिंग के आधार पर किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भेदवाभ नहीं किया जाएगा।

2. **राष्ट्रीय महिला आयोग– 1992–**
   महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाने हेतु 8 बिल और 34 कानून बनाया है।
3. **राजकीय महिला आयोग–**
   महिलाओं को सरल, सुलभ न्याय दिलाने हेतु राजकीय स्तर पर कार्य करता है। जिसमें बिहार महिला आयोग–2001 में स्थापित किया गया है।
   महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो महिलाओं और बाल–विकास से संबंधित–नियमों और कानूनों के निमार्ण तथा प्रषासन का कार्य करता है।

7. **महिलाओं की सहायता हेतु अधिनियम–**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948–

इसमें महिलाओं को रात्री के समय कार्य के दौड़ान सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने का शर्त निधार्रित किया गया है। महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का शर्त निर्धारित किया गया है। महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

आजादी से पूर्व महिलाओं के कल्याण के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम–1829, हिन्दू विधवा पुनः विवाह अधिनियम–1872 एवं विषेष विवाह अधिनियम–1923, बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 या शारदा अधिनियम, हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को लागू कर ब्रिटेष सरकार महिलाओं को परम्परागत दासता से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार इन सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने निम्नांकित संवैधानिक कल्याण कियें।

विषेष विवाह अधिनियम–1954, हिन्दू विवाह तथा विच्छेद अधिनियम–1955, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम–1956, हिन्दू नवालिग तथा संरक्षकता अधिनियम–1956, हिन्दू गोद लेना तथा भरण–पोषण का अधिनियम–1956, स्त्रियों तथा कन्याओं का व्यापार अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम–1956, दहेज निरोध अधिनियम–1961, समान वेतन अधिनियम–1976, फैक्ट्री षिषु गृह की स्थापना संषोघन अधिनियम–1974, मातृत्व लाभ अधिनियम–1961, एवं संषोधित अधिनियम–1976–इसमें प्रसव कालिन अवकाष की व्यवस्था 1975–76 व्यवहारिक तथा प्रयोगिक षिक्षा कार्यक्रम–इसमें गृह विज्ञान की षिक्षा, षिक्षण एवं प्रषिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 में पारित हुआ है। इसमें घर के महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक, आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक शोषण घरेलू हिंसा माना गया है।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) 1860 के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध व्यवस्था (IPC) 1860, विषिष्टा और सदाचार को प्रभावित करने वाल मामलो पर रोक धारा 292 से 294 तक वर्णित है। गर्भपात, अजन्में षिषुओं को नुकसान, असुरक्षित छोड़ने तथा जन्म छिपाने, के विषय में दण्ड का प्रवधान (IPC) धारा 312 से 318 तक किया गया है। नबालिक बिना किसी संरक्षण के बहला–फूसलाकर ले जाता है तो उसे व्यपहरण मानते हुए (IPC) धारा 363–366 के तहत दोषी है। वैष्यावृत्ति के

प्रयोजन हेतु धारा–372 से प्रतिबंध है। धारा–375 में बलात्कार को परिभाषित किया और 376 में बलात्कार के लिए दण्ड का प्रवधान किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और निवारण अधिनियम 2013–

आज महिलाऐं सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करती है। जहाँ उनका शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है तथा यौन उत्पीड़न का षिकार होती है। इसमें पुरूष मालिक या सहकर्मी ज्यादातर महिलाओं के लिए नुकसानदेह एवं संदेह पूर्ण हो गये है। जिसे पुलिस कार्यवाई और जिरो एफ.आई.आर के माध्यम से अपना बचाव कर सकती है।

6. **समस्या–**

20वीं शताब्दी तक स्त्री सुधार की मूल मुद्दे लगभग समाप्त हो चुकी है लेकिन नवीन समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस प्रकार लगता है कि पुरानी समस्या नये रूप में प्रस्फुटित हुई है जो इस प्रकार हैः–

सती प्रथा की जगह दहेज लोभ में नयी बहुऐ जलाई जाती है।

शिषु बध की जगह भ्रूण परीक्षण के दौरान कन्या षिषु की हत्या होती है।

रंगभवन की जगह बालिकाओं को तस्करी कर देह व्यापार कराया जाता है।

पारंपरिक समाज में पुरूष की अपेक्षा महिलाओं को कम पोषाहार एवं औषधीय सुविधा मिलती थी तो आज महिलाओं हेतु सार्वजनिक शैचालय, असुरक्षित विश्रामालय एवं भोजनालय का अभाव है। जिसे खाने–पीने एवं आराम की समस्या रहती है।

7. **प्रसंगिकता–**

इस प्रकार हम कह सकते है कि समस्या अचानक खत्म नहीं की जा सकती है, लेकिन नियंत्रित आवष्य की जा सकती है। आज महिलाएँ शारीरिक, मानसिक एवं समाजिक रूप से स्वतंत्र हुई है। समाज में चेतना बढ़ाकर महिलाओं की समस्या कम की जा सकती है। आज महिलाऐं राजनीतिक, आर्थिक, एवं शैक्षणिक मोकाम तक राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रवधानों के कारण पहुँची है। अधिक से अधिक कानून बनाकर कर नहीं बल्कि पूर्व से नियमित कानूनों को ईमानदारी पूर्व लागू कर इनकी समस्या न्युन्तम की जा सकती है।

8. **निष्कर्षः–**

अच्छा तो होगा कि विधायिका में आरक्षण देने के स्थान पर महिलाओं को शैक्षणिक एवं आर्थिक दोनों में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए और समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए। कि महिलाऐं स्वयं को निर्भीक और स्वतंत्र अनुभव कर सके तथा देष के सर्वांगीन विकास में सहयोगी बन सके।

संदर्भः–

1. विष्व की महान नारियाँ–भाग–2 (युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट) पं0 श्री राम शर्मा आचार्य।
2. भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्त (भारती भवन) गाँधी राय।
3. भारत का संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था (स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा0 लि0) कल्पना राजाराम।
4. प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) ऐच्छिक विषय (राजनीति विज्ञान) उपकार प्रकाषन।
5. प्रतियोगिता दर्पण (अंग्रेजी) जुलाई–2012, उपकार प्रकाषन।
6. फॉरवार्ड प्रेस (द्विभाषी) Vol. V-12, दिसम्बर–2013.

7. महिला एवं बाल–विकास मंत्रालय (सरकारी बेबसाइट–NIC)।
8. भारतीय अर्थ–व्यवस्था (रूद्र दत एवं सुन्दरम) एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी।

Dr. RAKESH KUMAR RAM.
MA, Ph.D (Pol.Sc)
B.Ed., MA in Edu.
UGC NET-JUN 2019
STET & CTET-2012 } Qualified
APS (AWES)-2018